प्रेषक,

निदेशक,
पंचायतीराज उ0प्र0।

आवंटन
अनुदान सं0–14
लेखाशीर्षक–4515001010800–24

सेवा में,

जिला पंचायतराज अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी,
लखीमपुर खीरी एवं प्रतापगढ़।

पत्र सं0–1/शा0/104/2024–1/30/2024 लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 2025

विषय–वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान सं0–14 में बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के निर्माण योजनान्तर्गत जनपद–हापुड़ द्वारा समर्पित 02 पंचायत भवनों की धनराशि जनपद–लखीमपुर खीरी एवं जनपद–प्रतापगढ़ को आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0–1/903100/2025/33–3002(001)3/2023 दिनांक 10.03.2025 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान सं0–14 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–101–पंचातीराज–08–बहुद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)–24–वृहद् निर्माण कार्य में जनपद–हापुड़ द्वारा समर्पित 02 पंचायत भवनों की धनराशि रू0–34.92 लाख में से जनपद–लखीमपुर खीरी को रू0–17.46 लाख एवं जनपद–प्रतापगढ़ को रू0–17.46 लाख पंचायत भवनों के निर्माण हेतु कुल **रू0–34.92 लाख (रू0 चौतीस लाख बानवे हजार मात्र)** धनराशि आवंटन हेतु अवमुक्त की गयी है।

अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि **रू0–34.92 लाख** निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है–

01–आंकड़ों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व योजना प्रभारी का होगा तथा आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

02–उपरोक्त धनराशि का आवंटन किसी प्रकार के अन्य व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फांइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

03–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देश के अन्तर्गत किया जायेगा।

04–आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व योजना प्रभारी का होगा।

05–आवंटित की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

06–आवंटित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

07–धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

08–आवंटित की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, आवंटित धनराशियों के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व योजना–प्रभारी का होगा।

09–योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि आवंटित नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

10–निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11–योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजन का तकनीकी आवंटन प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

12–शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018–मित0–1/2017 दिनांक 18.09.2018 विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

13–प्रश्नगत पंचायत भवन के मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत परियोजना का संबंधित जनपद के एस.ओ.आर. पर विस्तृत आंगणन कराया जायेगा एवं इस विस्तृत आंगणन पर कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

14–उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान सं0–14 के लेखाशीर्षक **''4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–101–पंचायतीराज– 08–बहुद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण(जिला योजना)–24–वृहद् निर्माण कार्य''** के नामे डाला जायेगा।

15–वर्ष 2024–25 में यदि कोई समर्पण हो, तो उसकी सूचना दिनांक 15.03.2025 तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0–52 पर अंकित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(राजेश कुमार त्यागी)
निदेशक,
पंचायती राज उ0प्र0।

सं0–1/शा0/104/1/2024 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज–211001
2–अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3–उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
4–उपसचिव, वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उ0प्र0 शासन।
5–सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6–मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।

7–सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8–सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
9–सम्बन्धित उपनिदेशक(पं0)/नोडल अधिकारी, बहुद्देशीय पंचायत भवन योजना, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
10–एस0पी0एम0यू0 पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

12/03/25
(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-12/03/2025

प्रेषण संख्या:- 1-sha-104-2024-1-30-2024
आवंटन आदेश संख्या:- 002-1-30-2024
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
08 - बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 8730000	1746000 8730000
2	प्रतापगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1746000 8730000	1746000 8730000
	योग	वर्तमान प्रगामी	3492000 17460000	3492000 17460000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौंतीस लाख बानवे हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ चौहत्तर लाख साठ हजार

(अमितोष श्रीवास्तव)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by AMITOSH SRIVASTAVA
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh